

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 173वीं बैठक दिनांक
09 मई, 2022 का कार्यवृत्त**

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 173वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री रंजन कुमार, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

- | | |
|--------------------------------|--|
| 01. श्री अक्षय त्रिपाठी | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 02. श्री राजेश पाण्डेय | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 03. श्री ए0एस0 भाटी | महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम। |
| 04. श्री यमुनाधर चौहान | सहायक नगर आयुक्त प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 05. श्री कमलेश प्रसाद त्रिपाठी | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद। |
| 06. सुश्री स्मिता निगम | नगर नियोजक प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग। |
| 07. श्रीमती रेखा श्रीवास्तव | सहायक आयुक्त, प्रतिनिधि-संयुक्त/अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 08. श्री अनुपम श्रीवास्तव | क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि-महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0। |
| 09. श्री राम कृष्ण यादव | पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 10. श्री राघवराम तिवारी | पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

अन्य उपस्थिति:-

- | | |
|----------------------------|---|
| 11. श्री पवन कुमार गंगवार | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 12. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 13. श्री दीपक सिंह | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 14. श्री नितिन मित्तल | मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 15. श्री जहीरूद्दीन | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 16. श्री अमित राठौर | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 17. श्री राम शंकर | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 18. श्री शशिमूषण पाठक | तहसीलदार, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 19. श्री माधवेश कुमार | उपसचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
173/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.12.2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
173/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.12.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
173/3	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय-व्ययक के स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2021-22 का वास्तविक आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित आय-व्ययक, जिसमें आय रू 1321.02 करोड़ तथा व्यय रू0 1067.36 करोड़ के प्राविधान को अनुमोदित किया गया।

(पुष्टिकरण)

(हस्ताक्षर)

173/4	प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग में आउटसोर्सिंग सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाकार को आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग में प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाकार को नियमानुसार जेम पोर्टल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
173/5	मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में पुनः परीक्षण कर प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों (गजट, ले-आउट आदि) सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
173/6	विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या-4/385-एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किये जाने व ले-आउट परिवर्तन से प्रभावित हुए अन्य भूखण्डों के पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
173/7	बसन्तकुंज योजना, सेक्टर-डी में नियोजित पुलिस थाने के भूखण्ड को नर्सिंग होम क्रिया/प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उक्त भूखण्ड को व्यवसायिक के रूप में पुनर्नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
173/8	रिहाफ-ए-आम योजना स्थित समूह आवास के भूखण्ड में से नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमी0) के रूप में तलपट मानचित्र में अंकित/परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
173/9	प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या -सीपी-89 व सीपी-90, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सम्पत्ति विभाग की आवंटन पत्रावलियों का परीक्षण कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
173/10	प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या -केबी-32 एवं केबी-33, सेक्टर-बी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ संलग्न	सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में सम्पत्ति विभाग की दोनों पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गई। विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।


प्राधिकरण


★

	भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृति किये जाने के संबंध में।	
173/11	भूखण्ड सं०-148ए, इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ का भू-उपयोग औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा विस्तृत परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
173/12	उ०प्र० शासन की हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी०पी०आर० स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
173/13	उ०प्र० के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ओमेक्स लि० द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
173/14	उ०प्र० शासन की हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी०पी०आर० एवं तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
173/15	सी०जी० सिटी (चकगंजरिया) योजना में विभिन्न भू-उपयोग के भूखण्डों की दरों को फ्रीज किये जाने के निर्णय दिनांक 15.12.2021 को समाप्त/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुपूरक विषय

अनु०वि० 173/01	स्व० श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि को इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनु०वि० 173/02	श्री हरि प्रसाद, प्लम्बर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जोन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनु०वि० 173/03	मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-116/2014 एवं 637/2018 से आच्छादित नमामि गंग योजना में डीपीआर प्लयुशन अबेटमेंट ऑफ रिवर गोमती लखनऊ (फेज-3) विचरण हेतु लखनऊ नगर में नये विकसित नालों के डायवर्जन हेतु एसपीएस के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।





अनु0वि0 173/04	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित आवंटियों को माह अप्रैल 2021 से मई 2021 तक के समय अवधि को शून्य मानकार गणना किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि केस-टू-केस प्रकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाय तथा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण श्री विवेक सिंह एवं श्रीमती रीता सिंह, आवंटित फ्लैट संख्या-एसयू/2053 /बी-2, सरयू अपार्टमेन्ट, गोमती नगर विस्तार के सापेक्ष प्रस्तानुसार गणना किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
-------------------	---	---

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।



(पवन कुमार गंगवार)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।



(अक्षय त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित



(रंजन कुमार)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।